"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 213] रायपुर, बुधवार, दिनांक 24 मई 2017—— ज्येष्ठ 3, शक 1939

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 04–17/2016/18. —— छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 355 सहपठित 95 धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिका सेवा (वेतनमान एवं भत्ता) नियम, 1967 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,–

अनुसूची– 3 में,–

(एक) शीर्षक "सामान्य प्रशासन विभाग" के अंतर्गत,–

(क) क्रमशः सरल कमांक 6, 7 एवं 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

(1)	(2)	(3)	(4)
"6.	लेखापाल	5200–20200+ग्रेड वेतन 2400	सीधी भर्ती हेतु, वाणिज्य में स्नातक एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री/डिप्लोमा।
7.	सहायक ग्रेड–दो	5200–20200+ ग्रेड वेतन 2400	विभागीय पदोन्नति हेतु, सहायक ग्रेड–तीन की विहित अर्हता एवं लिपिकीय कार्य में 5 वर्ष का अनुभव।

8.	सहायक ग्रेड–तीन	5200–20200+ ग्रेड वेतन 1900	(क) 75% पद, सीधी भर्ती से भरने हेतु :– (1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र। (3) हिन्दी कम्प्यूटर टाईप लेखन में 5,000 (Key) की डिप्रेशन प्रतिघंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)। (ख) शेष 25% पद, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।"

(ख) सरल क्रमांक 13 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

(1)	(2)	(3)	(4)
"13.	भृत्य	4750–7440+ ग्रेड वेतन 1300	8 वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।"

(दो) शीर्षक "राजस्व विभाग" के अंतर्गत,–

(क) सरल क्रमांक 1, 2 एवं 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जायें, अर्थात् :–

(1)	(2)	(3)	(4)
"1.	राजस्व अधिकारी	9300–34800+ग्रेड वेतन 4400	(क) सीधी भर्ती हेतु, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। (ख) विभागीय पदोन्नति हेतु, हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा राजस्व निरीक्षक के पद या समकक्ष पद पर न्यूनतम 6 वर्ष का न्यूनतम अनुभव।
2.	राजस्व निरीक्षक	5200–20200+ग्रेड वेतन 2800	(क) सीधी भर्ती हेतु, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। (ख) विभागीय पदोन्नति हेतु, उप–निरीक्षक के पद पर न्यूनतम 6 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
3.	राजस्व उप–निरीक्षक	5200–20200+ग्रेड वेतन 2200	विभागीय पदोन्नति हेतु, सहायक राजस्व निरीक्षक की विहित अर्हता तथा सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर न्यूनतम 6 वर्ष का अनुभव।"

(ख) सरल क्रमांक 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

(1)	(2)	(3)	(4)
"3–क.	सहायक राजस्व निरीक्षक	5200–20200+ग्रेड वेतन 1900	(क) सीधी भर्ती हेतु, हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (ख) विभागीय पदोन्नति हेतु, भृत्य के पद के लिए विहित अर्हता तथा 6 वर्ष का न्यूनतम अनुभव होना चाहिए।"

(तीन) शीर्षक "चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य विभाग" के अंतर्गत,–

(क) सरल क्रमांक 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

(1)	(2)	(3)	(4)
"5.	स्वच्छता निरीक्षक	5200–20200+ ग्रेड वेतन 2800	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीवविज्ञान में बी.एससी. उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्वच्छता निरीक्षक में डिप्लोमा।"

(ख) सरल क्रमांक 11 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

(1)	(2)	(3)	(4)
"11.	सफाई दरोगा	5200–20200+ग्रेड वेतन 1900	सीधी भर्ती हेतु, हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।"

(चार) शीर्षक "लोक निर्माण विभाग" के अंतर्गत,–

(क) सरल क्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

(1)	(2)	(3)	(4)
"1–क.	उप– अभियंता	9300–34800+ग्रेड वेतन 4200	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल/यांत्रिकी/विद्युत में डिप्लोमा/डिग्री होना चाहिए।"

(ख) सरल क्रमांक 6 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

(1)	(2)	(3)	(4)
"6.	समयपाल	5200–20200+ग्रेड वेतन 1900	हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।"

(पांच) शीर्षक "जल कार्य विभाग" के अंतर्गत,–

(क) सरल क्रमांक 6 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

(1)	(2)	(3)	(4)
"6.	पंप अटेंडेंट	5200–20200+ ग्रेड वेतन 1900	राज्य शासन द्वारा इस पद हेतु विहित अर्हता होना चाहिए।"

(ख) सरल क्रमांक 11 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

(1)	(2)	(3)	(4)
"11.	पंप कुली	4750–7440+ग्रेड वेतन 1300	राज्य शासन द्वारा इस पद हेतु विहित अर्हता होना चाहिए।"

(ग) सरल क्रमांक 13 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

(1)	(2)	(3)	(4)
"13.	लाईनमेन	4750–7440+ग्रेड वेतन 1300	राज्य शासन द्वारा इस पद हेतु विहित अर्हता होना चाहिए।"

(छः) शीर्षक "कर्म शाला विभाग" के अंतर्गत, सरल क्रमांक 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

(1)	(2)	(3)	(4)
"3.	वाहन चालक	5200–20200+ ग्रेड वेतन 1900	8 वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण तथा राज्य शासन के नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी किये गये हल्के तथा भारी मोटर वाहन का विहित लायसेंस होना चाहिए।"

(सात) शीर्षक "शिक्षा विभाग" के अंतर्गत, क्रमशः सरल क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

(1)	(2)	(3)	(4)
"1.	प्राचार्य	15600–39100+ ग्रेड वेतन 5400	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि, बी.एड. तथा व्याख्याता के पद में अध्यापन का 5 वर्ष का अनुभव।
2.	व्याख्याता	9300–34800+ ग्रेड वेतन 4300	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि तथा बी.एड.।
3.	उच्च श्रेणी शिक्षक	9300–34800+ ग्रेड वेतन 4200	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ उपाधि तथा एक वर्षीय बी. एड. (विशेष शिक्षा)। 2. समुचित सरकार की राष्ट्रीय / राज्य शासन शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी / टीईटी) उत्तीर्ण।
4.	निम्न श्रेणी शिक्षक	4200–20200+ ग्रेड वेतन 1900	1. 50% अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी शिक्षा का प्रमाणपत्र (अथवा कोई समकक्ष परीक्षा) तथा शैक्षणिक विषय में दो वर्षीय डिप्लोमा (विशेष शिक्षा)। 2. समुचित सरकार की राष्ट्रीय / राज्य शासन शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी / टीईटी) उत्तीर्ण।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2017

क्रमांक एफ 04–17 / 2016 / 18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4–17 / 2016 / 18 दिनांक 18–05–2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the18th May 2017

NOTIFICATION

No. F4-17/2016/18. — In exercise of the powers conferred by Section 355 read with Section 95 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Municipal Services (Scale of Pay and Allowances) Rules, 1967, namely:-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

In Schedule-III,-

(i) under the Heading "General Administration Department",-

(a) for serial number 6, 7 and 8 and entries relating thereto respectively, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"6.	Accountant	Rs.5200-20200+ Grade pay 2400	for Direct recruitment, Graduation in commerce and Degree/Diploma in Computer Application.
7.	Assistant Grade – II	Rs.5200-20200+ Grade pay 2400	for departmental Promotion, prescribed qualification of Assistant Grade-III and experience of 5 Years in clerical work.
8.	Assistant Grade – III	Rs. 5200-20200+ Grade pay 1900	(A) For filling 75% posts from direct recruitment,- (1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University. (2) One year Diploma /Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute. (3) In Hindi Computer Typing 5,000 (Key) depression speed per hour (efficiency test for speed shall be taken). (B) Remaining 25% posts shall be filled by promotion of Class-IV employees."

(b) for serial number 13 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"13.	Peon	Rs. 4750-7440+ Grade pay 1300	Should have passed 8th class examination."

(ii) under the Heading "Revenue Department", -

(a) for serial number 1, 2 and 3 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"1.	Revenue Officer	Rs. 9300-34800+ Grade pay 4400	(A) For direct recruitment, graduation from any recognized University. (B) For Departmental Promotion, should have passed Higher Secondary Examination and minimum experience of 6 years on the post of Revenue Inspector or equivalent post.
2.	Revenue Inspector	Rs. 5200-20200+ Grade pay 2800	(A) For direct recruitment, graduation from any recognized University. (B) For Departmental Promotion, should have minimum experience of 6 years on the post of Sub- Inspector.
3.	Revenue Sub-Inspector	Rs. 5200-20200+ Grade pay 2200	For departmental Promotion, prescribed qualification of Assistant Revenue Inspector and minimum experience of 6 years on the post of Assistant Revenue Inspector."

(b) after serial number 3 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"3-A.	Assistant Revenue Inspector	Rs. 5200-20200+ Grade pay 1900	(A) For direct recruitment, should have passed Higher Secondary Examination. (B) For Departmental Promotion, should have minimum experience of 6 years and prescribed qualification for the post of Peon."

(iii) under the Heading "Medical and Public Health Department", -

(a) for serial number 5 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"5.	Sanitary Inspector	Rs.5200-20200+ Grade pay 2800	Should have passed B.Sc. in Biology from any recognized University and diploma in Sanitary Inspector from any recognized institute."

(b) for serial number 11 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"11.	Sanitary Supervisor	Rs.5200-20200+ Grade pay 1900	For direct recruitment, should have passed Higher Secondary Examination."

(iv) under the Heading "Public Works Department", -

(a) after serial number 1 and entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"1-A.	Sub-Engineer	Rs. 9300-34800+ Grade pay 4200	Should have Diploma/degree in Civil/Mechanical/Electrical from any recognized University.

(b) for serial number 6 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"6.	Time Keeper	Rs.5200-20200+ Grade pay 1900	Should have passed Higher Secondary Examination."

(v) under the Heading "Water Works Department", -

(a) for serial number 6 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"6.	Pump Attendant	Rs.5200-20200+ Grade pay 1900	Should have qualification prescribed for this post by the State Government."

(b) for serial number 11 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"11.	Pump Coolie	Rs. 4750-7440+ Grade pay 1300	Should have qualification prescribed for this post by the State Government."

(c) for serial number 13 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"13.	Lineman	Rs. 4750-7440+ Grade pay 1300	Should have qualification prescribed for this post by the State Government."

(vi) under the Heading "Service Work Department", for serial number 3 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"3.	Driver	Rs.5200-20200+ Grade pay 1900	Should have passed class 8th examination and should have license prescribed for Light and Heavy Motor Vehicles issued by Appointing Officer of the State Government."

(vii) under the Heading "Education Department, for serial number 1, 2, 3 and 4 and entries relating thereto respectively, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"1.	Principal	Rs.15600-39100+ Grade pay 5400	A Master degree from any recognized University, B.Ed. and 5 year teaching experience in the post of lecturer.
2.	Lecturer	Rs. 9300-34800+ Grade pay 4300	A Master degree of related subject from any recognized University and B.Ed.
3.	Upper Division Teacher	Rs. 9300-34800+ Grade pay 4200	1. A degree of any recognized University with 50% marks and one year B.Ed.(Special education). 2. Passed National/ State Government Teacher eligibility test (CTET/TET) of appropriate Government.
4.	Lower Division Teacher	Rs. 5200-20200+ Grade pay 1900	1. A Certificate of Higher Secondary Education with 50% marks (or any equivalent examination) and two year Diploma in educational subject (Special education). 2. Passed National/ State Government Teacher eligibility test (CTET/ TET) of appropriate Government"

By order and in the name of Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.